बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

का0आ0स0: योस्था04/2—10/2025 /यो0वि0, पटना,दिनांक मार्च, 2025

कार्यालय आदेश

मुख्य अभियंता कार्यालय, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, पटना में पदस्थापित महिला योजना सहायक द्वारा श्री मनिकान्त कुमार, योजना सहायक, मुख्य अभियंता कार्यालय, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, पटना के विरूद्ध कार्यालय में अभद्र टिप्पणी करने, मोबाईल पर असहजतापूर्ण मैसेज भेजने एवं कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतीतोष) अधिनियम—2013 के अधीन गठित आंतरिक समिति के समक्ष सुलहनामा के बाद भी मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया है।

अतएव उक्त के आलोक में श्री मनिकान्त कुमार, योजना सहायक, मुख्य अभियंता कार्यालय, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली—2005 के नियम—9 के तहत आदेश निर्गत की तिथि से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय क्षेत्रीय योजना कार्यालय, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर निर्धारित किया जाता है। श्री कुमार को निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली—2005 के नियम—10 के तहत नियमानुसार जीवन यापन भत्ता देय होगा।

आदेश में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/—
(रविश किशोर)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक: यो0स्था04/2—10/2025 /यो0वि0, पटना,दिनांक मार्च, 2025

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर एवं श्री मनिकान्त कुमार, योजना सहायक, मुख्य अभियंता कार्यालय, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक: यो0स्था04/2—10/2025 1371 /यो0वि0, पटना,दिनांक 07 मार्च, 2025

प्रतिलिपि: आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

7.3.25
सरकार के संयुक्त सचिव

Letter- 24

Scanned with OKEN Scanner